04/2022/1/132100/2022-71-2099/389/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 14 जनवरी, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में के0जी0एम0यू0, लखनऊ के कतिपय भवनों (बाल विभाग एवं ट्रामा सेन्टर) में स्थापित ए0सी0 प्लान्ट को समायोजित करते हुए उनके परिवर्तन/अधिष्ठापन कार्य की प्रायोजना की अनुमोदित लागत के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 10037/योजना अनु0/2021, दिनांक 15.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ के कतिपय भवनों (बाल विभाग एवं ट्रामा सेन्टर) में स्थापित ए0सी0 प्लान्ट को समायोजित करते हुए उनके परिवर्तन/ अधिष्ठापन कार्य की प्रायोजना की अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-59/2021/।/70271/2021-71-2099/389/2021, दिनांक 12.06.2021 के द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 649.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष रू0 324.55 लाख (रूपया तीन करोड चौबिस लाख पचपन हजार मात्र) अवमुक्त किए जा चुके हैं।

3- उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 15.12.2021 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 649.10 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में के0जी0एम0यू0 के 24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 324.55 लाख (अनुदान संख्या-31 से रू0 256.3945 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 68.1555 लाख) (रूपया तीन करोड चौबीस लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव की होगी।
3) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है तथा प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है एवं इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
6) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा। बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
7) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
8) कार्यदायी संस्था को दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष, कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।
9) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव एवं महानिदेशक की होगी।
10) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। तदनुसार लागत का परीक्षण किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11) प्रायोजना प्रस्ताव में केन्द्रीय वातानुकूलन का प्राविधान किया गया गया है। इसकी क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इसप्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 एवं कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा।

12) प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रयोजनान्तर्गत उच्च विशिष्टियों पर विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही कार्य कराया जाय।

13) प्रायोजना में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्रा एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का होगा।

15) प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नए कार्यों को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च् विशिष्टियों को इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा।

16) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/ कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 द्वारा आहरित किया जाएगा तथा बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।

4- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि में से धनराशि रू0 256.3945 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

68.1555 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या- उपरोक्त तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) **महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।**
2) **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।**
3) **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।**
4) **वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।**
5) **नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।**
6) **वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4**
7) **स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।**
8) **प्रबन्ध निदेशक/अपर परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, उ0प्र0, लखनऊ ।**
9) **प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।**
10) **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Filename: 04-2022
Directory: C:\Users\me-2\Documents
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/14/2022 4:33:00 PM
Change Number: 17
Last Saved On: 1/14/2022 4:54:00 PM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 3 Minutes
Last Printed On: 1/14/2022 4:54:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 4
Number of Words: 1,117 (approx.)
Number of Characters: 6,369 (approx.)